



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 28.05.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना जहानागंज: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2025 को वादिनी मुकदमा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10/05/2025 को वादिनी दवा लेने चक्रपानपुर गई शाम हो जाने के कारण वादिनी अपनी बहन की बच्ची लेकर सो गई थी, लगभग 2 बजे रात में वादिनी की बहन का देवर बृजेश राजभर पुत्र स्व० झिन्नक राजभर ग्रा० शुम्भी आजमगढ़ द्वारा वादिनी को मुंह बंदकर दुसरे स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु०अ०सं०- 173/25 धारा 64, 352, 351(3) बीएनएस, पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 28.05.2025 को व०उ०नि० हृदयानन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि० बृजेश राजभर पुत्र झिन्नक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को 01 तमंचा, 01 जिन्दा व खोखा कारतूस .315 बोर के साथ सुम्भी बाजार से समय 7.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु०अ०सं० 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०सं०- 173/25 धारा 64, 352, 351(3) बीएनएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजभर पुत्र झिन्नक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष



02.थाना अहरौला: अवैध 02 तमंचा, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

1- अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.5.025 को वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह मय हमराह उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम गढ़ा स्कूल के पास से एक व्यक्ति राम अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा .315 बोर को समय करीब 4.55 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

2- अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.5.025 को वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह मय हमराह उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम विशुनपुरा पास से एक व्यक्ति अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा .315 बोर को समय करीब 4.55 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 206/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 207/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राम अनुज गिरी पुत्र कतवारु गिरी निवासी विशुनपुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

2-राज मंगल गिरी पुत्र स्व0 चन्द्रिका गिरी निवासी शमसाबाद थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 कुलदीप सिंह , उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह , उ0नि0 उदय शंकर तिवारी , का0 लालजी यादव , हे0का0 राकेश कुमार सिंह , हे0का0 जयप्रकाश यादव व हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

